



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-टी.एल.-अ.-08072025-264457
CG-TL-E-08072025-264457

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2967]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 7, 2025/आषाढ़ 16, 1947

No. 2967]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 7, 2025/ASHADHA 16, 1947

रेल मंत्रालय

(दक्षिण मध्य रेलवे)

अधिसूचना

सिकंदराबाद, 2 जुलाई, 2025

का.आ. 3034(अ).—केंद्र सरकार, रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 2 के खंड (37ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा, “महबूबाबाद यार्ड पर किलोमीटर 436/11-13 पर विद्यमान समपार फाटक संख्या 80 के स्थान पर प्रस्तावित ऊपरी सड़क पुल” को जन प्रयोजन हेतु राष्ट्रीय अवसंरचना प्रदान करने के लिए आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तेलंगाना राज्य के महबूबाबाद जिले में भूमि अधिग्रहण हेतु एक विशेष रेलवे परियोजना के रूप में अधिसूचित करती है।

[फा. सं. Dy CE/CE-II/KZJ/ROB/LC NO. 80/37A]

मोतीलाल भूक्या, मुख्य इंजीनियर / निर्माण-II

MINISTRY OF RAILWAYS
(South Central Railway)
NOTIFICATION

Secunderabad, the 2nd July, 2025

S.O. 3034(E).—In exercise of the powers conferred by clause (37A) of Section 2 of the Railways Act, 1989 the Central Government hereby notifies "Proposed Road Over Bridge in lieu of existing Level Crossing Gate No.80 at KM.436/11-13 at Mahabubabad yard" as a Special Railway Project for acquisition of land in the State of Telangana in the District of Mahabubabad for providing National Infrastructure for a public purpose with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F. No. Dy CE/CE-II/KZJ/ROB/LC NO. 80/37A]

MOTHILAL BHOOKYA, Chief Engineer/Con.-II